"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मई 2013—वैशाख 18, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-01-02/2011/1-3.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रावधानों के तहत, गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन हेतु गैर राज्य सिविल सेवा के पदों को राज्य सिविल सेवा के सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित करने के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रयोजन हेतु शासन के समस्त विभागों के गैर राज्य सिविल सेवा के ऐसे पदों को राज्य सिविल सेवा के उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित करता है, जो :—

(i) सीधी भर्ती के उप-जिलाध्यक्ष के पद के लिये निर्धारित चयन प्रक्रिया अनुसार मूल पद पर पदस्थ हों;

(ii) उसी ग्रेड पे के हों जो उप-जिलाध्यक्ष के पद से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन की अर्हता के लिये निर्धारित है तथा

(iii) उसी उम्र एवं अनुभव के हों जो उप-जिलाध्यक्ष की भा.प्र.से. में चयन के लिये अर्हता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.